सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 18, बुधवार, *शाके* 1947- जुलाई 09, 2025

Asadha 18, Wednesday, Saka 1947- July 09, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, मार्च 20, 2025

संख्या प.2(8)वन/2025 :- चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की संपत्ति है या उनमें सरकार के स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है।

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि, पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है।

और चूंकि, सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार एवं प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिस के बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहँचाने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) की धारा 29 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद् द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार एवं प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्ति करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जायेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के परन्तु (PROVISO) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसार में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद् द्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है। परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गो के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते है और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोडा जाना साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्नः- प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनूसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ट शासन सचिव (वन)।

प्रथम अनुसूची

क्र.स.	नाम वनखण्ड/ नाम चक	नाम तहसील	नाम जिला	वन खण्ड का क्षेत्रफल	वन खण्ड के क्षेत्रफल का विवरण				सीमा	वि.वि.
					नाम ग्राम/ चक	ख न./मु.न. मय किला नम्बर		रकब्बा (हैक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	10 एमकेडी	बज्जू	बीकानेर	1.0496 है0	10 एमकेडी पार्ट अ	190/48	1	0.1644	उत्तर - काश्तकार मु.नं. 190/47	
							10	0.1391	दक्षिण- काश्तकार मु. न.190/48	
							11	0.0632	पूर्व-नहर	
						योग		0.3667	पश्चिम- काश्तकार मु.नं. 190/40	
					10 एमकेडी पार्ट ब	190/48	22/2	0.1770	उत्तर - काश्तकार मु.नं. 190/48	
						योग		0.1770	दक्षिण- काश्तकार मु. न.191/41	
									पूर्व-नहर	

									पश्चिम-काश्तकार मु.नं. 190/48	
					10 एमकेडी पार्ट स	191/41	7/2	0.0632	उत्तर-काश्तकार मु.नं. 191/41	
							14/2	0.1265	दक्षिण-काश्तकार मु. न.191/42	
							17/1	0.1897	पूर्व-काश्तकार मु. नं. 191/41	
							25/2	0.1265	पश्चिम-नहर	
						योग		0.5059		
चक 10 एमकेडी के पार्ट अ + ब + स का महायोग 0.5059 + 0.1770 + 0.3667=								**1.0496 हैं0**		

रूपम सोनी,
क्षैत्रीय वन अधिकारी,
इं.गा.न.प. स्टेज-II इकाई चतुर्थ,
म 6-931 RD भरासर।

मदन सिंह चारण,
उप वन संरक्षक,
इं.गा.न.प. स्टेज-II,
बीकानेर।

द्वितीय अनुसूची
आरक्षित वृक्ष

S.No.	Botanical Name	Hindi Name
1	Azadirachta indica, A. juss	नीम
2	Acacia arubica Willd	बबूल
3	Acacia jacquemontil	बोवली
4	Aerua tomentosa	बुई
5	Cordia Myxa, Linn	लसोड़ा
6	Cordia rothi	गूंदी
7	Calligonum polygonoiudes	फोग
8	Calotropis procera R.Sr	आक
9	Cassia fistula, Linn	अमलतास
10	Capparis decidna	केर
11	Cenchrus cilliaris	धामण घास

12	Dalbergia sissoo, Roxb	शीशम
13	Encalyptus spp	सफेदा
14	Ficus religiosa, Linn	पीपल
15	Ficus bengalensis Linn	बड़
16	Lasiuress sindicus	सेवान घास
17	Leptadeniam Reticulatum Wight & Ar	खींप
18	Morus alba, Linn	शहतूत
19	Ricinus communis	अरण्ड
20	Prosopis spicigera	खेजड़ा
21	Prosopis cineraria	खेजड़ी
22	Prosopis juliflora	विलायती खेजड़ा
23	Salvadora oligoides	पीलू
24	Salvadora persica	जाल
25	Saccharum munja	मुंजा घास
26	Acacia Tortalis	इजराइल बबूल
27	Tecomella undulata	रोहिड़ा
28	Zizyphus jujuba Lam	बेर
29	Zizyphus xylopyra Willd	घोट
30	Zizyphus nummularia	झड़ बेर
31	Haloxylon salicornicum	लाणा

रूपम सोनी,
क्षैत्रीय वन अधिकारी,
इं.गा.न.प. स्टेज-II इकाई चतुर्थ,
म 6-931 RD भरासर।

मदन सिंह चारण,
उप वन संरक्षक,
इं.गा.न.प. स्टेज-II,
बीकानेर।

परिशिष्ट (क)

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण- पत्र
(जो लागू नहीं होता है उस काट दे)

नाम वनखण्ड/चक :- 10 एमकेडी
रेंज- इकाई चतुर्थ 29 आरडी भूरासर
नाम वन मण्डल - उप वन संरक्षक, स्टेज-II, बीकानेर।

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण गैर कृषिपायती है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान मे उपनिवेशन लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में एस.बी.पी. का कार्य करवाया गया है इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।
3. वर्तमान में कुछ क्षेत्र में सी.एस.पी. वृक्षारोपण का कार्य 1996-97, करवाया गया है इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है भविष्य में कुछ क्षेत्रों में भी विकास कार्य करवाये जाने की सम्भावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का घनत्व लगभग 50 प्रतिशत है इन वन खण्ड में प्रमुख प्रजातियां बैर, खेजड़ी, टोर्टलिस का लगभग 50 प्रतिशत है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र काश्तकारों, अराजीराज, सडक का है चारों और की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख कॉलम संख्या 9 मे कर दिया गया है।
6. वनखण्डों में वांछित मानत्रित (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है प्रस्तावित वन क्षेत्रों में सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों में विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधी पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।

8. उक्त भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

रूपम सोनी,
क्षैत्रीय वन अधिकारी,
इं.गा.न.प. स्टेज-II इकाई चतुर्थ,
म 6-931 RD भरासर।

मदन सिंह चारण,
उप वन संरक्षक,
इं.गा.न.प. स्टेज-II,
बीकानेर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।